

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड ४

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च १, 2016/फाल्गुन 19, 1937

No. 85]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2016/PHALGUNA 19, 1937

गृह मंत्रालय

(भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

- **सं. 13/12/2012-एलपीएआई.**—भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 10 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात :-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. लागू होना**.—(1) ये विनियम, प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों चाहे वे उसके सचिवालय या किसी एकीकृत जांच चौकी में नियुक्त या कार्य करते हो, को लागू होगें।
- (2) ये विनियम ऐसे व्यक्तियों जो प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्स से संबंध है या संविदा पर नियोजित है, को लागू नहीं होगें।
 - 3. परिभाषाएं,- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं.-
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, 2010 (2010 का 31) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
 - (ग) "अध्यक्ष" अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
 - (घ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है.-
 - (i) छः हजार और छः सौ रुपये या अधिक के ग्रेड वेतन से अनुषंग पद के संबंध में प्राधिकरण ;

1185 GI/2016

- (ii) अन्य किसी पद के संबंध में, अध्यक्ष ;
- (ड.) "कर्मचारी" में प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो प्राधिकरण में पूर्णकालिक नियोजन में है सम्मिलित है:
- (च) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;
- (छ) "चयन समिति" से विनियम 11 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ;
- (ज) "एकीकृत जांच चौकी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भूमि पतन अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में है ।
- 4. **पदों की प्रकृति और प्रवर्ग.-** प्राधिकरण के अधीन पदों की प्रकृति और प्रवर्ग, उनकी स्वीकृत संख्या और उससे संलग्न वेतन इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।
- 5. **नियुक्ति की रीति.-** प्राधिकरण के अधीन स्वीकृत पदों पर सभी नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति आधार पर या अल्पकालिक संविदा के माध्यम से की जाएगी ।

परंतु दस हजार रुपये ग्रेड वेतन वाले पदों के संबंध में नियुक्ति मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति का पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् की जाएगी ।

- 6. **पर्दों का आबंटन** प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों के बीच स्वीकृत पदों का पारस्परिक आबंटन, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित होगा ।
- 7. **पद को रिक्त रखने की शक्ति** इन विनियमों में की गई किसी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि प्राधिकरण से हर समय पदों के सभी प्रवर्गों पर कर्मचारियों की नियोजित करने की अपेक्षा की जाएगी ।
- 8. नियुक्ति के लिए मानदंड भर्ती की पद्धति चाहे प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा हो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षाओं के आधार पर समय-समय पर अवधारित की जाएगी ।
- 9. **रिक्तियों की घोषणा** प्राधिकरण ऐसी रीति में, जैसा वह उचित समझे भरी जाने वाली रिक्तियों की सख्यां की घोषणा करेगा और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के सभी विभागों और संगठनों को रिक्तियों के परिचालन द्वारा प्राधिकरण के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे विज्ञापन के माध्यम से रिक्तियों का प्रकाशन करेगा जैसा वह उचित समझे।
- 10. **आवेदन के लिए प्ररूपों का निर्धारण और शर्तें** प्राधिकरण, जैसा वह उचित समझे, प्ररूप जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करने का ढंग, आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी विहित करेगा।
- 11. **चयन समिति का गठन.-** (1) अभ्यर्थियों का चुनाव करने और प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति होगी ।
- (2) छः हजार और छः सौ रुपये या अधिक ग्रेड वेतन वाले पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करने हेतु चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे –
 - (क) अध्यक्ष अध्यक्ष
 - (ख) अधिनियम की धारा (3) की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त एक सदस्य सदस्य
 - (ग) गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार की रैंक के अन्यून, एक प्रतिनिधि
 - (घ) प्राधिकरण का सचिव सदस्य, संयोजक ।

- (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट से भिन्न पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करने हेतु चयन सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -
 - (क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष
 - (ख) प्राधिकरण का सचिव सदस्य
 - (ग) गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार की रैंक के अन्यून, एक प्रतिनिधि
 - (घ) प्राधिकरण का निदेशक सदस्य संयोजक
- 12. **वेतन, भत्तें और सेवा की शर्तें** (1) स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, अनुसूची के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट होगें और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित मार्गदर्शक सिधान्तों के अनुसार नियत की जाएगी।
- (2) प्राधिकरण के कर्मचारियों की भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन, सेवानिवृति लाभ, चिकित्सा सुविधाओं के मामले में सेवा की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी।
- 13. **कर्मचारियों की तैनाती** कर्मचारी की तैनाती किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित होगी और कोई कर्मचारी ऐसे वेतनमान या वेतन अथवा ग्रेड वेतन जो ऐसे व्यक्ति की प्रारम्भिक नियुक्ति से कम हो वाले पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।
- (2) एक कर्मचारी एक से अधिक पदों का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर सकेगा जिसके लिए उसे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के नियमों का विनियमों के अधीन अन्यथा यथा लागू के सिवाय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक या भत्ते संदत्त नहीं किए जाएंगे।
- 14. **आचरण और अनुशासन** सभी कर्मचारी समय समय पर यथा संशोधित साधारण सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और साधारण सिविल सेवा (वर्गीकरण, आचरण और अपील) नियम, 1965 और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों से विनियमित होगे।
- 15. **प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए विशेष उपबंध.-** राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों से प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए कर्मचारी
 - (क) वेतन और उस पर मंहगाई भत्ता, और
- (ख) छुट्टी, भविष्य निधि, पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में या तो ऐसे नियमों या विनियमों जे उस पद पर लागू होतें है जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है या ऐसे नियमों और विनियमों जो उन पर ऐसी राज्य सरकार या उपक्रम पर लागु होते है का चयन कर सकेंगे ।
- 16. **सेवा की अन्य शर्तें** ऐसे मामले जिसमें इन विनियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नही किया गया है के संबंध में कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन आरहित करने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।
- 17. **शिथिल करने की शक्ति** .- प्राधिकरण, लोक हित में तथा कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इन विनियमों के किन्ही प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा ।
- 18. **निर्वचन.** इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे अवधारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय उस पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अनुसूची (विनियम 4 और 12(1) देखें) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के अधीन पद उनकी संख्या और उससे संलग्न वेतन

भाग – 1 भूमि पत्तन प्राधिकरण सचिवालय

क्रम सं.	पद नाम	वेतन बैंड, वेतनमान और ग्रेड वेतन (रु.)	पदों की संख्या (परिवर्तन के अध्ययधीन रहते हुए)
1.	सचिव	वेतन बैंड-4	1
		37400-67000 + 10000	
2.	निदेशक (तकनीकी)	वेतन बैंड-4	1
		37400-67000 + 8700	
3.	निदेशक/उप सचिव	वेतन बैंड-4	2
		37400-67000 + 8700	
		वेतन बैंड- 3	
		15600-39100 + 7600	
4.	अवर सचिव	वेतन बैंड- 3	3
		15600-39100 + 6600	
5	कार्यकारी इंजीनियर	वेतन बैंड- 3	1
		15600-39100 + 6600	
6	अनुभाग अधिकारी	वेतन बैंड- 2	3
		9300-34800 + 4600	
7	सहायक इंजीनियर	वेतन बैंड- 2	2
	(सिविल और इलैक्ट्रीकल)	9300-34800 + 4600	
8	निजी सचिव	वेतन बैंड- 2	4
		9300-34800 + 4600	
9	सहायक	वेतन बैंड- 2	6
		9300-34800 + 4200	
10	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और	वेतन बैंड- 2	2
	इलैक्ट्रीकल)	9300-34800 + 4200	
11	ज्येष्ठ लेखाकार	वेतन बैंड- 2	1
		9300-34800 + 4200	
12	व्यैक्तिक सहायक	वेतन बैंड- 2	4
		5200-20200 + 4200	
13	लेखाकार	वेतन बैंड- 2	1
		9300-34800 + 2800	
14	आशुलिपिक श्रेणी घ	वेतन बैंड- 1	3
		5200-20200 + 2400	
15	रोकड़िया	वेतन बैंड- 1	1
		5200-20200 + 1900	
	कुल पद		35

भाग - 2 एकीकृत जांच चौकी

क्रम सं.	पद नाम	वेतन बैंड, वेतन मान और ग्रेड वेतन (रु)	पदों की संख्या (परिवर्तन के
			अध्यधीन रहते हुए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रबंधक	वेतन बैंड-3	7
		15600-39100 + 6600	
2.	सहायक	वेतन बैंड-2	10
		9300-34800 + 4200	
3.	आशुलिपिक श्रेणी घ	वेतन बैंड-1	7
		5200-20200 + 2400	
	कुल पद		24

युद्धवीर सिंह शेहरावत, अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण [विज्ञापन III/4/असा./378(391)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2016

- **F. No. 13/12/2012-LPAI.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 35 read with section 10 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Conditions of Service of Officers and other Employees) Regulations, 2016.
 - (2) These shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- **2**. **Application.**—(1) These regulations shall apply to all the employees of the Authority whether posted or working at its Secretariat or any integrated check post.
- (2) These regulations shall not apply to a person attached to, outsourced or employed on contract by, the Authority.
 - **3. Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010);
 - (b) "Authority" means the Land Ports Authority of India constituted under section 3 of the Act;
 - (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under clause (a) of section 3 of the Act;
 - (d) "disciplinary authority" means —
 - (i) in relation to a postbearing the grade pay of six thousand and six hundred rupees or above, the Authority;
 - (ii) in relation to any other post, the Chairperson;
 - (e) "employees" includes an officer and other employees of the Authority in the whole time employment of the Authority;
 - (f) "Member" means a member of the Authority;
 - (g)"Selection Committee" means a selection committee constituted under regulation 11;
 - (h) "integrated check post" means any land port specified by the Central Government under clause (d) of section 2 of the Act.

- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them under the Act.
- **4. Nature and categories of posts.**—The nature and categories of the posts under the Authority, their sanctioned strengths and pay attached thereto shall be as specified in the Schedule appended to these regulations.
- **5.** Mode of appointment.— (I) All appointment against the sanctioned posts under the Authority shall be made through deputation basis or short term contract:

Provided that in respect of a post carrying the grade pay of ten thousand rupees, the appointment shall be made after taking the prior approval of the Appointment Committee of the Cabinet.

- **6. Allocation of posts.**—The inter-se allocation of the sanctioned posts amongst different offices of the Authority shall be as decided by the Authority from time to time.
- **7. Power to keep a post vacant.**—Nothing in these regulations shall be construed as requiring the Authority to have at all times, employees serving in all the categories of posts.
- **8. Criteria for appointment.—** The method of recruitment whether by deputation or short term contract shall be determined by the Authority from time to time based on the requirements.
- **9. Announcement of vacancies.**—The Authority shall announce in such manner, as it deems fit, the number of vacancies to be filled and invite applications for appointment in the various posts under the Authority by circulating the vacancies to all departments and organisations of the Central Government and the State Governments and publish the vacancies through such advertisement, as it deems fit.
- 10. Prescription of forms and conditions for application.—The Authority may prescribe, as it deems fit, the form in which application shall be submitted, the documents and certificate to be accompanied with the application, the mode of submission, the last date for receipt of applications and the designated officer for submission of applications.
- 11. Constitution of Selection Committee.—(1) There shall be a Selection Committee for short listing the candidates and making recommendations for appointment to the Authority.
- (2) The Selection Committee for making recommendation for appointment to a post carrying the grade pay of six thousand and six hundred rupees or more, shall consist of—
 - (a) the Chairperson—Chairman;
 - (b) one Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Act—Member;
 - (c) one representative of the Ministry of Home Affairs, not below the rank of the Joint Secretary to the Government of India—Member;
 - (d) the Secretary of the Authority— Member-Convener.
- (3) The Selection Committee for making recommendation for appointment to a post other than those referred to in sub-regulation (2), shall consist of—
 - (a) one Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Act— Chairman;
 - (b) the Secretary of the Authority Member;
 - (c) one representative of the Ministry of Home Affairs, not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India—Member;
 - (d) the Director of the Authority— Member-Convener.
- 12. Pay, allowances and conditions of service.—(1) The pay of officers and other employee of the Authority specified under column (2) shall be as specified in the corresponding entries under column (4) of the Schedule and shall be fixed in accordance with such guidelines as are laid down by the Central Government in this regard.
- (2) The conditions of service of the employees of the Authority in the matters of allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are prescribed by the Central Government in this regard.

- 13. Posting of employees.— (1) The posting of an employee at any time shall be as determined by the Authority and no employee shall be posted to a post carrying the scale or pay or grade pay lower than to one such employee is initially appointed.
- (2) An employee may hold additional charge of more than one post for which no extra remuneration or allowances shall be paid except as otherwise applicable under the rules or regulations of the Central Government in this regard.
- 14. Conduct and discipline.— All employees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Conduct and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, and the instructions issued by Central Government from time to time in this regard.
- **15. Special provision for employees on deputation.**—An employee appointed on deputation to a post under the Authority from any State Government or Undertaking of the Central Government or a State Government shall have the option to either opt for the rules and regulations applicable to the post for which he is appointed or to the rules and regulations applicable to him under such State Government or Undertaking, in respect of
 - (a) the pay and dearness allowance thereon; and
 - (b) the leave, provident fund, pension and medical facilities.
- **16. Other conditions of service.**—Other conditions of service of the employees with respect to a matter for which no express provision has been made in these regulations, shall be such as are admissible to the officers and other employees of the Central Government drawing an equivalent pay.
- 17. Power of relax.—The Authority may in the public interest and after recording reasons in writing and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations.
- **18. Interpretation.**—If any question arises as regard to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Central Government for determination and the decision of the Central Government thereon shall be final and binding.

SCHEDULE

[See regulations 4 and 12(1)]

POSTS UNDER THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA, THEIR NUMBER AND PAY ATTACHED THERETO

PART I - LAND PORTS AUTHORITY SECRETARIAT

Sl. No.	No. Name of the post Pay band, pay scale and grade pay (Rs.)		Number of posts (subject to change)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Secretary	PB-4	1
		37400-67000	
		plus 10000	
2.	Director (Technical)	PB-4	1
		37400-67000	
		plus 8700	
3.	Director/	PB-4	2
	Deputy Secretary	37400-67000	
		plus 8700/	
		PB-3	
		15600-39100	
		plus 7600	
4.	Under Secretary	PB-3	3
		15600-39100	
		Plus 6600	
5.	Executive Engineer	PB-3	1
		15600-39100	
		plus 6600	

6.	Section Officer	PB-2	3
		9300-34800	
		plus 4600	
7.	Assistant Engineer (Civil and Electrical)	PB-2	2
	,	9300-34800	
		plus 4600	
8.	Private Secretary	PB-2	4
	·	9300-34800	
		plus 4600	
9.	Assistant	PB-2	6
		9300-34800	
		plus 4200	
10.	Junior Engineer (Civil and Electrical)	PB-2	2
		9300-34800	
		plus 4200	
11.	Senior Accountant	PB-2	1
		9300-34800	
		plus 4200	
12.	Personal Assistant	PB-2	4
		5200-20200	
		plus 4200	
13.	Accountant	PB-2	1
		9300-34800	
		plus 2800	
14.	Stenographer Grade D	PB-1	3
•	5 ° x	5200-20200	-
		plus 2400	
15.	Cashier	PB-1	1
		5200-20200	
		plus1900	
	Total posts	1	35

PART II – INTEGRATED CHECK POSTS

Sl. No.	Name of the post	Pay band, pay scale and grade pay (Rs.)	Number of posts (subject to change)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manager	PB-3	7
		15600-39100	
		plus 6600	
2.	Assistant	PB-2	10
		9300-34800	
		plus 4200	
3.	Stenographer Grade D	PB-1	7
		5200-20200	
		Plus 2400	
	Total posts		24

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

सड़क प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

- **सं 13/12/2012-एलपीएआई**.—भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 10 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1**) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती विनियम, 2016 **है**।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पर्दों** की **संख्या, वर्गीकरण**, और **वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त **पदों** पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हैं: या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है.

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. सचिव	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 4 ; 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 4 ; 37400-67000 रु + ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो प्रशासन, नीति, मानव संसाधन विकास, सर्तकता और विधिक मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
2. निदेशक (तकनीकी)	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 4; 37400-67000 + रु. ग्रेड वेतन 8700 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य पद धारण किए हुए हो ; या

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) जो सिविल इंजीनियरी में कार्य करने का अनुभव और सिन्नमीण क्रियाकलापों को मानीटर करने का अनुभव रखता हो।

 <u>टिप्पण 1</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

 <u>टिप्पण 2</u> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
3. निदेशक	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 4 ; 37400-67000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
			+ ग्रेड वेतन 8700 रु.			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो व्यापार और वाणिज्य, नीति, योजना और विकास, प्रशासन, वित्त और विधिक मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।

 <u>टिप्पण 1</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(12)	(13)		
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
4. उप सचिव	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो वित्त, लेखा, नीति, योजना और विकास के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	
1	2	3	4	5	6	7
5. अवर सचिव	3* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-30100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो नीति, योजना और विकास, प्रशासन,मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंध मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखतें हो ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
6. कार्यकारी इंजीनियर	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीघ्रे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य संगठनों में सिविल या इलैक्ट्रीकल इंजिनियरी पर कार्य करने का और सन्निर्माण क्रियाकलापों की मानीटरी करने का अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
7. प्रबंधक	7* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 3 ; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 ; 15600-39100 रु + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो नीति, योजना और विकास, प्रशासन,मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंध मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखतें हो ।

<u>टिप्पण 1</u> - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	
1	2	3	4	5	6	7
8. अनुभाग अधिकारी	3* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो नीति, योजना और विकास, प्रशासन,मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंध मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	प दों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
9. सहायक	2* (2016)	लागू नहीं	वेतन बैंड - 2 ;	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
इंजीनियर		होता ।	9300-34800 रु. +	होता		
(सिविल और इलैक्ट्रीकल)			ग्रेड वेतन 4600 रु.			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन बैंड 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य संगठनों में सिविल या इलैक्ट्रीकल इंजिनियरी पर कार्य करने का और सन्निर्माण क्रियाकलापों की मानीटरी करने का अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । <u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	_
1	2	3	4	5	6	7
10. निजी सचिव	4* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड -2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन बैंड 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय सरकार के विभाग में निजी सचिव के रुप में कार्य करने का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
11. कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रीकल)	2* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
_	•	40
8	9	10

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन बैंड 2 ; 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतन मान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या समतुल्य संगठनों में सिविल या इलैक्ट्रीकल इंजिनियरी पर कार्य करने का और सन्निर्माण क्रियाकलापों की मानीटरी करने का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
12. सहायक	16* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
13. व्यैक्तिक	4* (2016)	लागू नहीं	वेतन बैंड - 2 ;	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सहायक		होता ।	9300-34800 रु. +	होता		
			ग्रेड वेतन 4200 रु.			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	ਛੀई ਦੀ ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य के वेतन मान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) सरकारी विभाग में निजी सहायक के रुप में कार्य करने का अनुभव रखते हों ।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी । अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एस समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयो से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
14. ज्येष्ठ लेखाकार	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 2 ; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो लेखा या वित्त परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव रखते हों।

<u>टिप्पण 1</u> - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)	
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	
1	2	3	4	5	6	7
15. लेखाकार	1* (2016)	लागू नहीं होता ।	वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
16. आशुलिपिक श्रेणी घ	10* (2016)	लागु नहीं होता ।	वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	1	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चातु उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो केन्द्रीय सरकार के विभाग में व्यैक्तिक सहायक के रुप में कार्य करने का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण 2</u> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
17. रोकड़िया	1* (2016)	लागु नहीं होता ।	वेतन बैंड - 1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति - केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ।

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रु + ग्रेड वेतनरु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो लेखाओं या वित्त परियोजनाओं में कार्य करने अथवा रोकड़ के हथालन का अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी अल्पकालिक संविदा -

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सदृश पद से सेवानिवृत हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्प कालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागु नहीं होता	लागू नहीं होता

युद्धवीर सिंह शेहरावत, अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण [विज्ञापन -III/4/असा./378(391)]

(Department of Border Management)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2016

No. 13/12/2012-LPAI.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 35 read with Section 10, of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India, with the prior approval of the Central Government hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment of the various posts in the Land Ports Authority of India, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and scale of pay.** The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person –

shall be eligible for appointment to the said posts:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

01

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Secretary	1 (2016)	Not applicable	Rs. 37400- 67000 in PB 4 plus grade pay Rs. 10000.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	Deputation— Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	Not applicable	Not applicable.
			(ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 37400-67000 (pay band 4) with grade pay Rs.8700/- or equivalent; and		
			(b) possessing experience in the field of administration, policy, human resource development, vigilance, and legal matters.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Director	1 (2016)	Not applicable	Rs. 37400-67000 in	Not	Not applicable	Not applicable
(Technical)			PB 4 plus	applicable		
			grade pay Rs. 8700			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	Deputation— Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post or the post of Superintending Engineer in Central Public Works Department or equivalent on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs.7600 or equivalent; and		
			(b) possessing experience of working in civil engineering or equivalent and having experience of monitoring of construction activities.		

 I I		
	Note 1.— Period of deputation or short term	
	contract including period of deputation in	 -
	another ex-cadre post held immediately	 -
	preceding this appointment in the same or	ļ
	some other organisation or department in the	
	Central Government shall not exceed three	ļ
	years.	
	jeurs.	
	Note 2.— The maximum age limit for	
	appointment by deputation shall be not	
	exceeding fifty-five years as on the closing	ļ
	date of receipt of applications.	
	date of receipt of approximens.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Director	1 (2016)	Not applicable	Rs.37400-67000 in	Not	Not applicable	Not applicable
			PB 4 plus	applicable		
			grade pay Rs. 8700			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	Deputation— Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs.15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs.7600/- or equivalent; and		
			(b) possessing experience in the field of trade and commerce, policy, planning and development, administration, finance and legal matters.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Deputy	1 (2016)	Not	Rs. 15600-39100 in	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Secretary		applicable	PB 3 plus grade pay			
			Rs. 7600			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	Deputation— Officers of the Central Government or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 6600/- or equivalent; and (b) possessing experience in the field of finance, accounts, policy, planning and development.	
Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. Note 2.— The maximum age limit for appointment has department and the process of the same interest and the same	
appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Under Secretary	3 (2016)	Not applicable	Rs. 15600-39100 in PB 3 plus grade pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	Deputation— Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 5400/- or equivalent; and		
			(b) possessing experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases, communication related matters.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Executive Engineer	1 (2016)	Not applicable	Rs. 15600-39100 in PB 3 plus Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Deputation	Deputation—	Not	Not
applicable	applicable applicable		Officers of the Central Government—	applicable	applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 4600 or equivalent; and		
			(b) possessing experience of working on civil or electrical engineering in Central Public Works Department or equivalent organisations and having experience of monitoring of construction activities.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Manager	7 (2016)	Not applicable	Rs. 15600-39100 in	Not applicable	Not applicable	Not applicable
			PB 3 plus Grade			
			Pay Rs. 6600			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation	Deputation— Officers of the Central Government or State Government—	Not applicable	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 15600-39100 (pay band 3) with grade pay Rs. 5400 or equivalent; and		
			(b) possessing experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases and communication related matters.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in		

another ex-cadre post held immediately
preceding this appointment in the same or
some other organisation or department in the
Central Government shall not exceed three
years.
Note 2.— The maximum age limit for
appointment by deputation shall be not
exceeding fifty-five years as on the closing
date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Section	3 (2016)	Not	Rs. 9300-34800 in	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Officer		applicable	PB 2 plus grade pay			
			Rs. 4600			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	Deputation or short	Deputation—	Not	Not
applicable	applicable	term contract	Officers of the Central Government or State Government—	applicable	applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200/- or equivalent; and		
			(b) possessing experience in the fields of policy, planning and development, administration, human resource development, finance, vigilance, court cases, communication related matters.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		
			Short term contract—		
			Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Assistant Engineer (Civil	2 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay	Not applicable	Not applicable	Not applicable
and Electrical)		аррисанс	Rs. 4600	аррпсавіс		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Deputation or short	Deputation—	Not applicable	Not applicable.
applicable	term contract	Officers of the Central Government—		
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
		(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200 in the Central Public Works Department or equivalent; and		
		(b) possessing experience of working on civil or electrical engineering in the Central Public Works Department or equivalent organisations and having experience of monitoring of construction activities.		
		Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
		Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		
		Short term contract—		
		Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central		
		Not Deputation or short	Not applicable Deputation or short term contract Deficers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200 in the Central Public Works Department or equivalent; and (b) possessing experience of working on civil or electrical engineering in the Central Public Works Department or equivalent organisations and having experience of monitoring of construction activities. Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant	Not applicable Deputation or short term contract Officers of the Central Government—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Private Secretary	4 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus Grade pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	Deputation— Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 9300-34800 (pay band 2) with grade pay Rs. 4200 in the Central Public Works Department or equivalent; and		
			(b) possessing experience of working as Private Secretary in a department of the Central Government.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. Short term contract—		
			Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.		

1	2	3	4	5	6	7
11. Junior Engineer (Civil and Electrical)	2 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9		10	11		12	13
Not applicable	Not	Dep	outation or short	Deputation—		Not applicable	Not applicable.
	applicable	tern	n contract	Officers of Government—	the Central		
				(a) (i) holding ana regular basis in the department; or			1
				(ii) with six years re the grade rendered a thereto on regular ba of Rs. 9300-34800 (p grade pay Rs. 4200 Public Works I equivalent; and	fter appointment asis in pay scale pay band 2) with 0 in the Central		
				(b) possessing experi on civil or electrica the Central Public W or equivalent org having experience o construction activitie	l engineering in orks Department ganisations and of monitoring of		
				Note 1.— Period of short term contract of deputation in a post held immediatel appointment in the other organisation of the Central Govern exceed three years.	including period nother ex-cadre ly preceding this same or some or department in		
				Note 2.— The max for appointment by be not exceeding fif on the closing date applications. Short term contract	deputation shall fty-five years as e of receipt of		
				Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Assistant	16 (20		Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	Deputation— Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.

(a) (i) holding analogous post on
regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs. 2800/- or equivalent; and
(b) possessing experience in the fields of administration, human resource development, finance.
Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.
Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.
Short term contract—
Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Personal Assistant	4 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in PB 2 plus grade pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not	Deputation or short	Deputation—	Not applicable	Not applicable.
	applicable	term contract	Officers of the Central		
			Government—		
			(a) (i) holding analogous post on		
			regular basis in the parent cadre or		
			department; or		
			(ii) with five years regular service in		
			the grade rendered after appointment		
			thereto on regular basis in pay scale		

of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with	
grade pay Rs. 2800/- or equivalent;	
and	
(b) possessing experience of working	
as personal assistant in the	
government department.	
Note 1.— Period of deputation or	
short term contract including period	
of deputation in another ex-cadre	
post held immediately preceding this	
appointment in the same or some	
other organisation or department in	
the Central Government shall not	
exceed three years.	
Note 2.— The maximum age-limit	
for appointment by deputation shall	
be not exceeding fifty-five years as	
on the closing date of receipt of	
applications.	
Short term contract—	
Where the Authority is unable to get	
suitable officers on deputation, the	
Authority may fill such vacancies by	
short term contract employment for a	
period of maximum six months at a	
time, from amongst the officers	
retired from an analogous post in	
Central Government or State	
Government and below the age of	
sixty-five years and having suitable	
qualifications and experience. The	
remuneration shall be as per extant	
rules and regulations of the Central	
Government on the subject.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.Senior	1 (2016)	Not applicable	Rs. 9300-34800 in	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Accountant			PB 2 plus grade			
			pay Rs. 4200.			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not	Deputation or short	Deputation—	Not applicable	Not applicable.
	applicable	term contract	Officers of the Central		
			Government—		
			(a) (i) holding analogous post on		
			regular basis in the parent cadre or		
			department; or		
			(ii) with five years regular service in		
			the grade rendered after appointment		
			thereto on regular basis in pay scale		
			of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with		
			grade pay Rs. 2800/- or equivalent;		
			and		
			(b) possessing experience of working		
			in accounts or finance, projects.		
			Note 1.— Period of deputation or		
			short term contract including period		
			of deputation in another ex-cadre		
			post held immediately preceding this		

appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications. Short term contract—	
Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Accountant	1(2016)	Not applicable	Rs. 5200- 20200 in PB 1 plus grade pay Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	Deputation— Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale		
			of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs		
			(b) possessing experience of working in accounts or finance, projects.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		

Short term contract—	
Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Stenographer	10 (2016)	Not	Rs. 5200-20200 in	Not applicable	Not	Not applicable
Grade D		applicable	PB 1 plus grade		applicable	
			pay Rs. 2400			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	Deputation— Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs	Not applicable	Not applicable.
			department. Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years. Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		
			Short term contract— Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. Cashier	1(2016)	Not applicable	Rs. 5200-20200 in PB 1 plus grade pay Rs. 1900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Deputation or short term contract	Deputation— Officers of the Central Government—	Not applicable	Not applicable.
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
			(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay scale of Rs. 5200-20200 (pay band 1) with grade pay Rs		
			(b) possessing experience of working in accounts or finance projects or handling of cash.		
			Note 1.— Period of deputation or short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall not exceed three years.		
			Note 2.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-five years as on the closing date of receipt of applications.		
			Short term contract—		
			Where the Authority is unable to get suitable officers on deputation, the Authority may fill such vacancies by short term contract employment for a period of maximum six months at a time, from amongst the officers retired from an analogous post in Central Government or State Government and below the age of sixty-five years and having suitable qualifications and experience. The remuneration shall be as per extant rules and regulations of the Central Government on the subject.		

YUDHVIR SINGH SHAHRAWAT, Chairman of the Land Ports Authority of India.

[ADVT.-III/4/Exty./378 (391)]